R-3258/II/2015

19

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–दतिया

श्रीमती उमा देवी पति श्री एम.पी. कुशवाहा अध्यक्ष राजघाट बुन्देलखण्ड संस्कृत संस्कृति प्रसाद सेवा समिति दतिया निवासी ग्राम – राजघाट कालौनी दतिया (म.प्र.)

..... आवेदिका

विरूद्ध

1– दीपक सचदेवा पुत्र श्री आसूदाराम

2– श्रीमती डिम्पल पत्नी दीपक सचदेवा निवासी– तान्या पैलेस मानसरोवर कालौनी दतिया (म.प्र.)

3– स्टार ऐग्रो इन्फास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा अतुल कुमार पुत्र नरेन्द्र द्वारा ग्राम गोविन्दपुर तहसील बडौनी जिला दतिया (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 3/10/15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3/10/15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

3/10/15

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 106/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 26.09.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है कि –

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि मौजा गोविन्दपुर तहसील बडौनी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 421/1 घ रकवा 0.80 है0 भूमि पर कब्जा एवं पंजीकृत विक्रय पत्र की सीमाओं के आधार पर बंटाकन एवं तर्मीम किया जाये।
2. यहकि, आवेदिका द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ बंटवारे की नकल तथा पूर्व में हुये बंटवारा प्रकरण क्रमांक 30/अ–27/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 06.08.2013 के आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी। प्रकरण दर्ज कर राजस्व निरीक्षक से बंटाकन रिपोर्ट आहुत करने बावत् निर्देशित किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में लेख किया कि दिनांक 30.12.2005 को विक्रेता रघुवीर सिंह से भूमि क्रय की थी। जिसका नायब तहसीलदार बडौनी द्वारा वर्ष 2013 में बंटवारा किया गया था। आवेदिका द्वारा यह भी लेख किया था कि उसके सहखातेदार दीपक सचदेवा द्वारा बाद में बनावटी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 3258–2/2015 **जिला** दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश श्रीमती उमा/दीपक	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5 –11–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यहां दुहराये जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है इसके साथ ही आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में अंकित बिन्दुओं के आधार पर निर्णय लेने का निवेदन किया गया । निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया । जिसमें मुख्य रूप से अंकित किया गया है कि आवेदिका द्वारा भूमि सर्वे कमांक–421/1 घ रकवा 0.80 है. रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से खरीदी गयी तथा उसका विकय पत्र में अंकित सीमाओं के आधार पर बटांकन भी करा लिया गया । इसी बीच सहखातेदार दीपक सचदेवा द्वारा बाद में बनावटी सीमाए दिखा कर भूमि विकय कर दी गयी जिसके कारण उसकी भूमि प्रभावित हुई है । आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक–26.9.15 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है । निगरान मेमों में अंकित तथ्यों के कम में अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक–26.9.15 का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायालय में अनावेदक की ओर से प्रस्तुत अपील प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही को स्थगित करने का आदेश दिया गया है प्रकरण में अभी अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया है। आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि स्थगन आदेश में समय सीमा नहीं दी गयी है जवकि उन्हें संहिता में निहित प्रावधानों के पकाश में समयावधि निश्चित करते हुए स्थगन दिया जाना चाहिए । अतः विधि के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में यथा स्थिति बनाए रखे जाने का आदेश एक निश्चित समयावधि के लिए जारी करें एवं इस समयावधि में प्रकरण का निराकरण करना भी विधि के प्रकाश में सुनिश्चित करें । उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है । सदस्य	